प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02.11.2022 को नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी द्वारा नौएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण एवं जनपद गौतमबुद्धनगर के अधिकारियों, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों, जिला वन अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ नौएडा–ग्रेटर नौएडा एवं जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं CAQM द्वारा GRAP के विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा बैठक की गई जिसमें निम्न निर्देश दिये गये–

1. सभी वर्क सर्किल प्रभारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि नौएडा, ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में कोई भी Hot Mix Plant, RMC Plant एवं Stone Crasher वर्तमान में संचालित नहीं है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से निगरानी करते हुए इनका संचालन पूरी तरह से बंद रखे जाने के निर्देश दिये गये।

2. नौएडा क्षेत्र में 90 स्प्रिंकलर टैंकर तथा 40 एन्टी स्मॉग गन कार्यशील होने से अवगत कराया गया। ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में 20 स्प्रिंकलर टैंकर तथा 12 एन्टी स्मॉग गन कार्यशील होने से अवगत कराया गया। नौएडा–ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में Water Sprinkling हेतु अतिरिक्त टैंकर लगाकर STP शोधित जल से सड़कों पर पानी का छिड़काव कराने व पौधों की धुलाई करने के निर्देश दिये गये जो टैंकर वर्तमान में चलाये जा रहे हैं उनके फेरे बढाते हुए ट्रैफिक आवर से पूर्व पर्याप्त मात्रा में जल छिड़काव हेतु निर्देशत किया गया।

3. मैकेनिकल स्वीपिंग की मशीनों में पानी के छिड़काव की उचित व्यवस्था न होने के कारण धूल उड़ाने की शिकायत प्राप्त हो रही है। सभी मैकेनिकल स्वीपिंग एजेंसियों के माध्यम से पानी का छिड़काव करते हुए मानक के अनुरूप निर्धारित गति पर मैकेनिकल स्पीपिंग मशीनों के चलाये जाने के निर्देश दिये गये। उल्लघन की स्थिति में सम्बन्धित एजेंसी पर पेनल्टी अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये।

4. 500 मीटर से बड़ी साईटों को डस्ट ऐप पर पंजीकृत कराने के निर्देश दिये गये तथा जो प्रोजेक्ट ऐप पर रजिस्टर नहीं होते हैं उन्हे तत्काल बंद करने के निर्देश दिये गये।

5. सभी निर्माण स्थलों पर मैटेरियल को ढककर रखने, एन्टी स्मॉग गन, स्प्रिंकलर का उपयोग करने तथा साईटों को ग्रीन नेट से ढकने के निर्देश दिये गये, 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के सभी निर्माण स्थलों पर एक एन्टी स्मॉग गन, 5000 से 10000 वर्गमीटर की प्रत्येक साईट पर 02 एन्टी स्मॉग गन, 10000 से 15000 वर्गमीटर के निर्माण स्थलों पर 03 एन्टी स्मॉग गन तथा 20000 वर्गमीटर से बडे निर्माण स्थलों पर 04 एन्टी स्मॉग गन स्थापना एवं संचालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

6. GRAP में निर्धारित मानकों का पालन न करने वाली निर्माण एजेन्सियों, कार्यदायी संस्थाओं, वाहनों पर विशेष अभियान चलाकर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये।

7. विशेष अभियान चलाकर सड़कों/खाली स्थानों पर पड़े C&D Waste को उठवाकर प्रोसेसिंग प्लान्ट पर पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया।

8. शहर में किसी भी प्रकार के कूड़े, गार्बेज, पत्ते जलाने एवं कोयले का उपयोग करने वाले तंदूर पर प्रतिबंध लगाने एवं उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाने व कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

9. अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व) द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में कोई भी खनन का कार्य वर्तमान में संचालित नहीं है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा GRAP लागू रहने की अवधि में किसी भी प्रकार के खनन कार्य के संचालन पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिये गये।

10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु छिड़काव में प्रयोग हेतु 05 फायर टेंडर उपलब्ध कराने हेतु आश्वासन दिया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा के अधिकारियों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए इन फायर टेंडर के माध्यम से पेड़ पौधों की पत्तियां धुलवाने के निर्देश दिये गये।

11. नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कोई भी औद्योगिक इकाई बिना अनुमन्य ईंधन के संचालित नहीं की जा रही है।

12. डीजल जनरेटरों का प्रयोग मात्र लिफ्ट, आकस्मिक सुविधाओं, चिकित्सा संस्थानों, रेलवे स्टेशन, मैट्रो स्टेशनों आदि पर GRAP के प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा GRAP के इस प्रावधान का भी कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

13. ITMS के माध्यम से स्थापित 20 AQI सेंसर की रिपोर्ट दैनिक आधार पर उपलब्ध कराये जाने एवं उसी अनुरूप सम्बन्धित क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

14. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा अपर जिलाधिकारी को बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से स्कूलों में आउटडोर एक्टीविटीज बंद कराने हेतु एडवाइजरी जारी करने के निर्देश भी दिये गये।

15. GRAP के प्रावधानों के उल्लंघन पर 01.10.2022 से अब तक नोएडा प्राधिकरण की टीमों द्वारा लगभग 74 लाख रू0 की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। उल्लंघनकर्ताओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुये उन पर नियमित पेनाल्टी अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये जिससे GRAP के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में कमी लाई जा सके।

Scanned with CamScanner